

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा

लव-कुश नगर, मूंदी रोड़, खण्डवा (म.प्र.) 450001, दूरभाष- 0733-2245000, 2245001

Email: deangmckhandwa@gmail.com, Website: www.gmckhandwa.org

क्रमांक/1185/स्था./शा.चि.म./2020

खण्डवा, दिनांक 15/09/2020

// विज्ञप्ति //


संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं म.प्र. के निर्देशानुसार कोविड-19 (नोवल कोरोना वायरस) महामारी से बचाव के लिए समर्पित COVID चिकित्सालय में मानव संसाधन की आवश्यकता है। जिस हेतु अस्थायी पदों की भर्ती की जाना है।

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा में निम्नलिखित रिक्त पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं, पद संख्या निम्नानुसार है:-

स.कं.	पदनाम	योग्यता	पद संख्या	मासिक मानदेय प्रतिमाह
1.	पीजीएमओ (General Medicine)	स्नातकोत्तर चिकित्सा अधिकारी (डिग्री/डिप्लोमा) जनरल मेडिसिन, विषय विशेषज्ञ	04	1,25,000/- (डिग्री) 1,10,000/- (डिप्लोमा)
2.	पीजीएमओ (Pulmonologist)	स्नातकोत्तर चिकित्सा अधिकारी (डिग्री/ डिप्लोमा) पॉल्मोनोलॉजिस्ट, विषय विशेषज्ञ	04	
3.	पीजीएमओ (Anesthesiologist)	स्नातकोत्तर चिकित्सा अधिकारी (डिग्री/ डिप्लोमा) ऐनेस्थेशिया, विषय विशेषज्ञ	04	

* पदों की संख्या बढ़ायी या घटाई जा सकती है।

- उपरोक्त नियुक्ति एन.एच.एम. के अंतर्गत महामारी से बचाव हेतु की जा रही है जिसकी अवधि कुल 03 माह की होगी। शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थियों के चयन हेतु सक्षात्कार (Walk in Interview) की प्रक्रिया अपनाई जायेगी इस संबंध में जानकारी चिकित्सा महाविद्यालय की वेबसाइट, ई-मेल एवं दूरभाष के माध्यम से दी जावेगी।
- आवेदन हेतु शैक्षणिक योग्यता आदि की जानकारी एवं विस्तृत विवरण संस्था की वेबसाइट www.gmckhandwa.org से प्राप्त की जा सकती है। रिक्त पदों की पूर्ति हेतु वॉक इन इन्टरव्यू दिनांक 16.09.2020, 18.09.2020 (बुधवार, शुक्रवार) प्रातः 10.00 बजे से 11.00 तक शा.चि.महा. खण्डवा के स्थानीय कार्यालय में आवेदन पत्र जमाकर प्रमाण पत्रों की स्कूटनी की जावेगी तथा उसी दिनांक को सक्षात्कार आयोजित किये जावेंगे। सक्षात्कार हेतु आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्रों की मूल प्रति तथा अभिप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा। इस हेतु पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी।
- चयन प्रक्रिया हेतु किसी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा।
- चयनित अभ्यर्थियों का मासिक मानदेय एन.एच.एम. के मापदण्डानुसार देय होगा।


अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा (म.प्र.)

निरर्हतायें—

- विकृत चित्त वाला होने पर।
- दुश्चरित्र होने पर।
- शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।
- नियुक्ति के लिये प्रयास/अनुशंसा—किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशंसा उसके लिये अनर्हकारी माना जायेगा।
- विवाह संबंधी — जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरुष वर्ग के लिये 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिये 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा। कोई भी ऐसे महिला/पुरुष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरुष/महिला से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी/पति हो, ऐसे महिला/पुरुष नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे।
- जिस आवेदक की 2 से अधिक संतान हो एवं जिसमें से तीसरी संतान का जन्म दिनांक 26/01/2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। (दो या दो से कम संतान वाले आवेदक शपथ पत्र प्रस्तुत करें।)
- कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर।
- कदाचरण संबंधी — किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जावेगा, यदि उसने शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिये परिणामस्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो।
- ऐसा उम्मीदवार जिसके विरुद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।
- स्वास्थ्य संबंधी — चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सक जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो, के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात् शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ पाया जाए तथा वह ऐसा प्रमाण पत्र जारी करें।

अर्हताएं—

- भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा शैक्षणिक पद विशेष के लिए निर्धारित अर्हता।

महत्वपूर्ण टीप :- यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हतायें और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जाँच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी। आवेदक के विरुद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जाँच न हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित होती हो, इस आशय से संबंधित घोषणा पत्र जो की आवेदन के प्रारूप में दिया गया है। यह शर्त भी उसमें समाहित रहेगी।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा (म.प्र.)

आवेदन का प्रारूप

के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र (अंतिम तिथि . 09 .2020)

नोट: सभी जानकारी आवेदक द्वारा पूर्ण की जावे।

स्वप्रमाणित
फोटो

1. आवेदक का नाम
 2. पुरुष/महिला.....
 3. पिता/पति का नाम (उपनाम सहित).....
 4. वर्तमान निवास स्थान का पता (पिनकोड सहित).....
.....
शहर का नाम..... फोन नं.....
मोबाइल नं.....ईमेलआईडी.....
 5. स्थाई पता.....
.....
शहर का नाम..... फोन नं.....
मोबाइल नं.....
 6. आधार कार्ड नम्बर (हो तो)
 7. जन्मतिथि (हाईस्कूल परीक्षा की अंकसूची संलग्न करें).....
 8. दिनांक 01/01/2021 को आवेदक की आयुदिन माहवर्ष
 9. आवेदक की वैवाहिक स्थिति- विवाहित/अविवाहित
 10. विवाह का दिनांक-
 11. वर्ग : अनारक्षित / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछडा वर्ग / विकलांग (आरक्षित श्रेणी हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न करें)
 12. मेडिकल काउन्सिल/डेंटल काउन्सिल का पंजीयन क्रमांक एवं नाम तथा दिनांक
- अ. (एम.बी.बी.एस.)(बी.डी.एस.)—
ब. एमडी/एमएस/एम.डी.एस.)—
स. एमसीएच/डीएम—

13 शैक्षणिक योग्यताएं:- (प्रमाण-पत्र एवं अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

परीक्षा का नाम	संस्था / बोर्ड / वि.वि.	वर्ष	विषय	प्राप्तांक / पूर्णांक	एम.बी.बी.एस. के कुल प्राप्तांक/प्रतिशत	प्रयास (Attempt)
MBBS/BDS First Prof.						
MBBS/BDS Second Prof.						
MBBS/BDS Final Part I						
MBBS/BDS Final Part II						
MD/MS/MCH/ DM/MDS						
S.R.						
J.R						

(प्रत्येक वर्ष का पृथक-पृथक भरे)

नोट: प्रत्येक परीक्षा के प्रयास (Attempt) प्रमाण पत्र अधिष्ठाता द्वारा प्रदत्त हो संलग्न करें।

14. शैक्षणिक अनुभव :-

क्रमांक	पदनाम	शैक्षणिक अनुभव
1	प्राध्यापक	
2	सह- प्राध्यापक	
3	सहायक प्राध्यापक	
4	ट्यूटर/प्रदर्शक/सीनियर रेसीडेन्ट	

15. रिसर्च पब्लिकेशन :-

क्रमांक	पदनाम	रिसर्च पब्लिकेशन		जरनल की संपूर्ण जानकारी	इन्डेक्सिंग
		नं.	टाइटल		
1	प्राध्यापक				
2	सह- प्राध्यापक				
3	सहायक प्राध्यापक				
4	ट्यूटर/प्रदर्शक/सीनियर रेसीडेन्ट				

16. संलग्न प्रमाण पत्रों की संपूर्ण सूची -----

स्थान.....

दिनांक.....

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

// घोषणा-पत्र //

1. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं सत्य है। जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन पत्र/नियुक्ति पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
2. मेरे विरुद्ध पुलिस प्रकरण में एफ.आई.आर. दर्ज नहीं है, और मेरे विरुद्ध कोई जाँच प्रचलन में नहीं है।
3. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मुझे नैतिक पतन के किसी अपराध में किसी न्यायालय द्वारा न तो दोषी पाया गया है और न ही मेरे विरुद्ध इस प्रकार का कोई प्रकरण किसी भी न्यायालय में विचाराधीन है।

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

अनुबंध पत्र

मैंने अपना आवेदन दिनांक के द्वारा
..... की सेवाएँ हेतु शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा में प्रस्तुत किया है। मैं
स्वेच्छा से मानदेय पर दिनांक से लेकर दिनांक .
..... तक अस्थायी रूप से 3 माह हेतु कोविड-19 नियंत्रण ऑपरेशन के
लिये कार्य करने हेतु सहमत हूँ एवं अपनी सेवाएँ इस हेतु स्वेच्छा से प्रदान कर रहा/रही
हूँ। मुझे इस हेतु दिया जाने वाला मासिक मानदेय स्वीकार है एवं दी
गई समस्त सेवा शर्तें मान्य हैं एवं मेरे द्वारा नियोजन के संबंध में माननीय न्यायालय में
किसी प्रकार का दावा/अनापत्ति प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

सेवा शर्तें :-

1. यह सेवाएँ पूर्ण रूप से अस्थायी होगी एवं आकस्मिक सेवाओं के रूप में ली जा रही है, अतः इन सेवाओं को नियमित अथवा संविदा सेवा के लिये किसी भी दशा में मान्य नहीं किया जावेगा।
2. यह सेवाएँ एक निश्चित समयावधि 03 माह की लिए ली जा रही है, जिसे आवश्यकता होने पर बढ़ाया/घटाया जा सकेगा। अतः निर्धारित अवधि पश्चात् आदेश स्वतः समाप्त माना जावेगा।
3. उक्त मानव संसाधन की सेवाएँ चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा अथवा कोविड-19 नियंत्रण ऑपरेशन में ही ली जा सकेगी।
4. उक्त पदों के नियंत्रणकर्ता अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा होंगे।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता खण्डवा को समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रति एवं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट उपलब्ध करा कर सेवा प्रदाता कार्य दायित्व संभालेंगे।
6. अनुबंध के निष्पादन पर होने वाला व्यय संबंधित सेवा प्रदाता द्वारा स्वयं वहन किया जावेगा।

शपथगृहिता